संख्या-सी०सी० ०६ /29-8-2007-23 (विविध)/2006 टीसी

प्रेषक,

श्री सुधीर कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

(1)समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

(2)समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक,
उत्तर प्रदेश।

खाद्य एवं रसद अनुभाग-8 लखनऊ :: दिनांक :: ५ जनवरी, 2007

विषय उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 की धारा 25 की उपधारा -(3) एवं 27 की उपधारा - (1) का अनुपालन सुनिश्चित कराने विषयक।

महोदय,

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 की धारा 25 की उपधारा - (3) एवं धारा - 27 की उपधारा - (1) में क्रमशः निम्नलिखित प्रावधान है :-

धारा - 25(3) "जहाँ जिला मंच, राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग, जैसा विषय हो, द्वारा किये गये आदेश के अधीन किसी व्यक्ति से कोई धनराशि बकाया है, तो उस धनराशि का हकदार व्यक्ति जिला मंच, राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग, जैसा विषय हो, को आवेदन कर सकेगा, और वह जिला मंच या राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग जिले के कलेक्टर (चाहे जिस भी नाम से जाना जाये) को उक्त धनराशि के लिए प्रमाणपत्र जारी कर सकेगा तथा कलेक्टर उस धनराशि को उसी रीति से वसूल करने की कार्यवाही करेगा, जिस रीति से भू-राजस्व के अवशिष्टों की वसूली की जाती है।"

धारा - 27(1) "जहाँ कोई व्यापारी या ऐसा व्यक्ति जिसके विरूद्ध परिवाद किया गया है, (या परिवादी) यथास्थिति, जिला फोरम, राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग द्वारा किये गये किसी आदेश का अनुपालन करने में असफल रहता है, या उसका लोप करता है तो वहाँ ऐसा व्यापारी या व्यक्ति (या परिवादी) ऐसे कारावास से जिसकी अवधि एक मास से कम नहीं होगी, किन्तु जो तीन वर्ष की हो सकेगी या जुर्माने से जो दो हजार रूपये से कम का नहीं होगा, किन्तु जो दस हजार रूपये तक का हो सकेगा अथवा दोनों से दण्डनीय होगा।"

2. उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 की धारा 25 की उपधारा - (3) एवं धारा 27 की उपधारा - (1) के उपर्युक्त प्रावधानों की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि यदि जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष फोरम (जिला फोरम) अथवा राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग (राज्य आयोग) द्वारा किसी वाद में वांछित धनराशि की वसूली का प्रमाण-पत्र जारी किया जाता है, तो कृपया उसकी वसूली अधिनियम की धारा - 25 की उपधारा - (3) के प्रावधानों के अनुसार करने का कष्ट करें।

शासन के संज्ञान में यह तथ्य लाया गया है कि राज्य आयोग एवं जिला फोरम द्वारा निर्गत गिरफ्तारी वारंट का क्रियान्वयन अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार समुचित ढंग से नहीं हो पा रहा है। अतः उक्त धारा - 27 की उपधारा (1) के प्रावधानों के अंतर्गत यदि जिला फोरम अथवा राज्य आयोग द्वारा किसी व्यक्ति के विरूद्ध गिरफ्तारी का वारंट जारी किया जाता है, तो कृपया उक्त प्रावधानों के अंतर्गत कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(सुधीर कुमार)
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं दिनांक यथोक्त

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

(1) पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।
(2) निबन्धक, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ०प्र०, लखनऊ।
(3) समस्त अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम, उत्तर प्रदेश।

भवदीय,

(कपिल देव त्रिपाठी)
विशेष सचिव।